दिव्यांग यात्रियों को दी जा रही सुविधाएं

दिव्यांग यात्रियों को समय-समय पर निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:

(i) दिव्यांग यात्रियों को क्षेत्रीय रेलों द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान-पत्र के आधार पर रियायती ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा भी दी गई है।

(ii) अनुपनगरीय खंडों पर चलने वाली सभी गाड़ियों में दिव्यांग रियायती टिकट पर यात्रा करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए स्लीपर श्रेणी में चार बर्थ और **3**एसी में दो बर्थ का कोटा निर्धारित किया गया है। दिव्यांग यात्री के साथ सहचर के रूप में यात्रा करने वाले व्यक्ति को भी इस कोटे से बर्थ आबंटित की जाती है।

(iii) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के जरिए जारी टिकटों में जहां तक हो सके, एकोमोडेशन की उपलब्धता के अध्यधीन, दिव्यांग यात्री को एक निचली बर्थ आबंटित करने और उसके साथ सहचर के रूप में यात्रा करने वाले व्यक्ति को दिव्यांगजन की बर्थ के निकट ही बीच/ऊपर की बर्थ आबंटित किए जाने अनुदेश भी दिए गए हैं।

(iv) गाड़ी के प्रस्थान के बाद यदि गाड़ी में खाली निचली बर्थ उपलब्ध है और यदि दिव्यांग रियायत के प्राधिकार पर बुक किए गए दिव्यांग यात्री, जिसे ऊपर/बीच की बर्थ आबंटित की गई है, खाली निचली बर्थ देने की मांग करता है तो ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद खाली निचली बर्थ आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।

(v) राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों और दूरांतो एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में व्हील चेयर के प्रवेश के लिए चौड़े दरवाज़े, चौड़े गलियारे और 4 बर्थ (2 निचली और 2 बीच की) सहित आशोधित शौचालय वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए एसएलआरडी सवारी डिब्बे लगाए गए हैं।

(vi) अनुदेश जारी किए गए हैं कि सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में एसएलआरडी सवारी डिब्बों को दिव्यांगजनों के अनन्य रूप से उपयोग के लिए निर्धारित अनारक्षित सवारी डिब्बा माना जाए। पूरी तरह से आरक्षित गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में इन सवारी डिब्बों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर गरीब रथ एक्सप्रेस के 3 एसी श्रेणी के पूरे किराए के भुगतान पर दिव्यांगजन रियायत पर यात्रा करने वाले दिव्यांग यात्रियों द्वारा बुकिंग के लिए आरक्षित सवारी डिब्बा माना जाता है।

(vii) विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर प्रति पाली औसत मांग 120 टिकटों से अधिक होने पर महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व संसद सदस्यों, विधायकों, मान्यताप्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण मांगों के लिए अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं। यदि दिव्यांगजनों सहित इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विशेष काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, तो इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी अनुरोधों से निपटने के लिए कुल मांग के आधार पर एक या दो काउंटर निर्धारित किए गए हैं।

(viii) व्हील चेयर रेलवे द्वारा अपनी लागत पर प्रदान की जाती हैं और दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के परिचरों को उन्हें गाड़ियों तक लाने और ले जाने के लिए बिल्कुल निशुल्क मुहैया कराई जाती हैं। हालांकि, जब भी सहचर इच्छुक नहीं होते हैं या सहचर साथ नहीं होते हैं, तो

दिव्यांगजनों आदि को गाड़ियों तक लाने और ले जाने के लिए पूर्व निर्धारित नाममात्र दर पर कुलियों (सहायकों) की सेवाएं ली जा सकती हैं।

(ix) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ न्यास, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के माध्यम से यात्रियों को निशुल्क व्हील चेयर सेवाएं सह कुली सेवाएं बुक करने में सक्षम बनाने के लिए यात्री मित्र सेवा शुरू की गई है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के जरिए निशुल्क और वाणिज्यिक व्यापार के जरिए प्रभार्य आधार पर बैटरी चालित वाहनों की व्यवस्था की गई है।

*****

दिव्यांग यात्रियों को दी जा रही सुविधाएं

रेल मंत्रालय द्वारा दिव्यांग यात्रियों को दी गई सुविधाओं में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:

(क) रियायतें:

दिव्यांग यात्रियों को रेल किराए में दी गई रियायतें निम्नानुसार हैं:

दिव्यांग यात्रियों के लिए रियायतें		
क्र.सं.	**यात्रियों की कोटि**	**रियायत प्रतिशत**
1	ऑर्थोपेडिकली दिव्यांग/पैराप्लेजिक व्यक्ति जो बिना सहचर के यात्रा नहीं कर सकते - किसी भी प्रयोजन के लिए। बहरहाल, सहचर के साथ अथवा अकेले टिकट बुक कर सकते हैं।	• द्वितीय, स्लीपर, प्रथम श्रेणी, एसी 3 टियर एसी कुर्सीयान में 75% • प्रथम श्रेणी एसी और द्वितीय श्रेणी एसी में 50% • राजधानी/शताब्दी गाड़ियों के एसी 3 एवं एसी कुर्सीयान में 25% • मासिक सीजन टिकट' एवं त्रैमासिक सीजन टिकट'' में 50% • एक सहचर भी उतनी ही छूट के लिए पात्र है।
2	मंदबुद्धि व्यक्ति जो बिना सहचर के यात्रा नहीं कर सकते - किसी भी प्रयोजन के लिए। बहरहाल, सहचर के साथ अथवा अकेले टिकट बुक कर सकते हैं।	
3	दृष्टि के पूर्ण अभाव से ग्रस्त दृष्टिबाधित व्यक्ति जो अकेले अथवा सहचर के साथ किसी भी प्रयोजन के लिए यात्रा कर रहे हों।	
4	मूक और बधिर व्यक्ति (एक ही व्यक्ति दोनों तरह से रोगग्रस्त)- जो किसी भी प्रयोजन के लिए अकेले यात्रा कर रहा हो अथवा सहचर के साथ हो।	• द्वितीय, स्लीपर और प्रथम श्रेणी में 50% • मासिक सीज़न टिकट एवं त्रैमासिक सीज़न टिकट में 50% • एक सहचर भी उतनी ही छूट के लिए पात्र है।

रियायत प्राप्त करने की कार्यविधि है (क) सरकारी डॉक्टर द्वारा सरकारी चिकित्सक से निर्धारित प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि दिखाने पर सीधे स्टेशन से ही रियायती टिकट जारी किए जाते हैं। (ख) दृष्टि के पूर्ण अभाव से ग्रस्त दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरएमपी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र और दृष्टि के पूर्ण अभाव से ग्रस्त दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कार्यरत कतिपय संस्थानों (कोचिंग टैरिफ में सूचीबद्ध) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं। स्टेशन पर ही प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि दिखाने पर ही रियायत प्रदान की जाती है। रियायती टिकट खरीदते समय और यात्रा के दौरान मांग किए जाने पर सत्यापन के लिए मूल प्रमाण-पत्र दिखाना होगा।